प्रेस नोट 01- दिनांक 14.09.2024

थाना अजगैन, जनपद उन्नाव।

हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अजगैन पुलिस द्वारा हत्या के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- थाना क्षेत्र अजगैन के ग्राम कोरारा में दिनांक 13.06.2024 की रात्रि करीब 11.40 बजे घर के बाहर सोये हुए आवेदक साहिल पुत्र रजनीश नि0 कोरारा थाना अजगैन जनपद उन्नाव के पिता रजनीश को अभियुक्त गण द्वारा गाली गलौज करते हुए लाठी डण्डा व धार दार हथियार से मारना पीटना तथा जान से मारने की धमकी देना जिससे परिजन द्वारा रजनीश उपरोक्त को CHC नवाबगंज इलाज हेतु ले जाना जहाँ से चिकित्सक द्वारा ट्रामा सेन्टर लखनऊ रिफर कर देना जहाँ रजनीश का इलाज चल रहा था तथा आवेदक द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 182/24 धारा 323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 307 भादवि की बढोत्तरी की गयी थी कि मजरूब रजनीश उपरोक्त का दौराने इलाज दिनाँक 29.06.2024 को ट्रामा सेन्टर लखनऊ में हो गयी थी जिसके पीएम रिपोर्ट के अवलोकन से धारा 302 भादवि की बढोत्तरी की गयी तथा धारा 307 भादवि की घटोत्तरी की गयी है । आज दिनांक 14.09.2024 को निरीक्षक श्री राम नरायन यादव मय हमराह फोर्स द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सुबाष चन्द्र पुत्र श्री कुंवर बहादुर निवासी ग्राम कोरारा थाना अजगैन जनपद उन्नाव उम्र करीब 40 वर्ष को गौरा कठेरवा मोड से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.सुबाष चन्द्र पुत्र श्री कुंवर बहादुर निवासी ग्राम कोरारा थाना अजगैन जनपद उन्नाव उम्र करीब 40 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. निरीक्षक श्री राम नरायन यादव
2. का0 संदीप सिंह भारतीय
3. का0 प्रदीप कुमार यादव

UNNAO POLICE

प्रेस नोट 02- दिनांक 14.09.2024

थाना कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव।

ई-रिक्शा की बैटरी चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा ई-रिक्शा की बैटरी चोरी करने वाले अभियुक्त को चोरी की दो बैटरी बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 12.09.2024 को वादी मुकदमा अभिनन्दन सिंह पुत्र राघवेन्द्र सिंह निवासी म0नं0 306 सिविल लाइन थाना कोवताली उन्नाव डरा 11-9-24 की रात्रि में ई रिक्शा न0 UP 35 BT 7693 कोअपने घर के सामने चार्जिंग मे लगा कर खडा किया था जब दि0 12.09.2024 को सुबह करीब 6.00 बजे अपना ई रिक्शा देखा तो उसमें बैट्री नहीं थी | घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखि गयी तो एक अज्ञात व्यक्ति समय करीब 01.09 बजे ई-रिक्शा की दोनों बैटरी अपने हाथ में लिये जा रहा था | वादी मुकदमा की तहरीरी सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0651/2024 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया | दिनांक 13.09.24 को मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त अमन पाल पुत्र शिवनरायन पाल उम्र करीब 18 वर्ष नि0 मोहल्ला मौहारी बाग सिविल लाइन्स थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव को शेरअली खेडा गाँव को जाने वाले मार्ग के मोड़ पर से चोरी की गयी दोनों बैटरी बरामद कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- अमन पाल पुत्र शिवनरायन पाल उम्र करीब 18 वर्ष नि0 मोहल्ला मौहारी बाग सिविल लाइन्स थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव ।

बरामदगी-दो अदद बैटरी क्रमशः नीले व पीले रंग की बड़ी बैटरी Eastman कंपनी की

गिरफ्तारी करने वाली टीम

उ0नि0 अरुण कुमार सिंह

आरक्षी अक्षय प्रताप

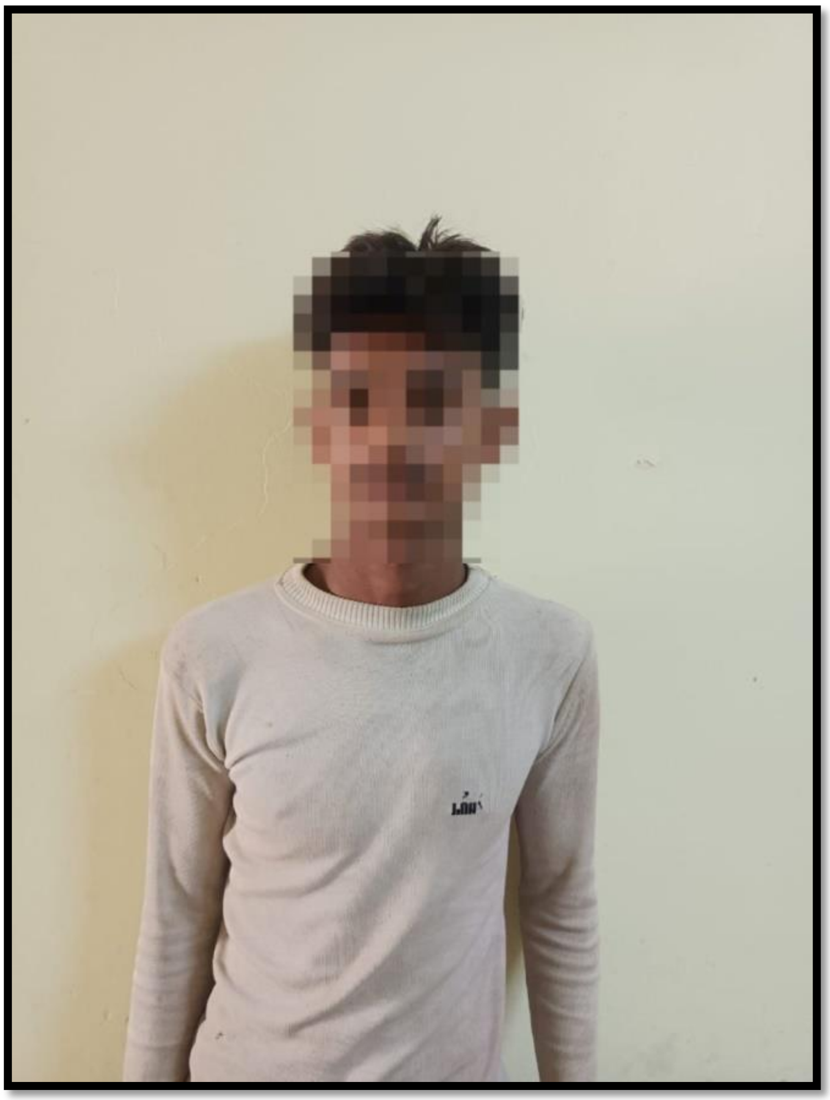

UNNAO POLICE

प्रेस नोट 03- दिनांक 14.09.2024

थाना कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव।

UPI के माध्यम से फ्रॉड कर निकाली गई 30 हजार रुपये की संपूर्ण धनराशि कराई गई रिफण्ड

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में यू.पी.आई. के माध्यम से फ्रॉड कर निकाली गई 30 हजार रुपये की संपूर्ण धनराशि थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा पीड़ित के खाते मे रिफण्ड कराई गई।

संक्षिप्त विवरण- थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव में हरिनाथ सिंह पुत्र भग्गल सिंह निवासी सिविल लाइन थाना कोतवाली सदर उन्नाव द्वारा प्रार्थना पत्र बावत दिनांक 13.05.2024 को यू0पी0आई0 के माध्यम से 30000/- रू0 का फ्राड होने विषयक दिया गया था । जिस पर थाना कोतवाली उन्नाव की टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए फ्राड की गयी 30000/- रू0 की सम्पूर्ण धनराशि आवेदक के खाते में रिफण्ड करायी गई।

कार्यवाही करने वाली टीम

1.अपराध निरीक्षक राजेश यादव थाना कोतवाली सदर ,जनपद-उन्नाव ।

2.व0उ0नि0 बृजेश कुमार यादव थाना कोतवाली सदर ,जनपद-उन्नाव ।

3.महिला आरक्षी सोनिया शर्मा, थाना कोतवाली सदर ,जनपद-उन्नाव

प्रेस नोट 04- दिनांक 14.09.2024

थाना बांगरमऊ, जनपद उन्नाव।

पुलिस मुठभेड़ में दो शातिर लुटेरे गिरफ्तार, लूटे गये 15000/- रु0 बरामद

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बांगरमऊ पुलिस एवं एसओजी/सर्विलांस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ में दो शातिर लुटेरों को लूटे गये 15 हजार रुपयों के साथ गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनाँक 13.09.2024 को पीआरवी 4716 थाना बांगरमऊ पर सूचना प्राप्त हुई की 02 बाइक पर सवार 04 अज्ञात युवकों द्वारा पूनम पत्नी प्रियांशु निवासी चंपू पूरवा थाना बांगरमऊ के घर मे रुपये और जेवर छीन लिये है और वहां से भाग गये है। प्राप्त सूचना पर क्षेत्राधिकारी बांगरमऊ व बांगरमऊ पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बांगरमऊ पर मु0अ0स0- 350/24 धारा 310(2)/333/115(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया एवं त्वरित कार्यवाही करते हुए घटना में शामिल दो अभियुक्तों 1.अभिषेक पाल पुत्र नवल किशोर पाल निवासी मो0 पन्नी टोला कस्बा व थाना बांगरमऊ 2. सक्षम उर्फ अंशू पाल पुत्र प्रमोद कुमार पाल निवासी मो0 न्यू कटरा कस्बा व थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव को पुलिस हिरासत मे लिया गया। दोनों अभियुक्तों की निशादेही पर बरामदगी हेतु उन्हें ले जाया जा रहा था, जहां दोनों अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर हमला कर भागने का प्रयास किया। जवाबी कार्यवाही में पुलिस मुठभेड़ के दौरान दोनों अभियुक्तों के पैर मे गोली लगी है, जिन्हे उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है । अभियुक्तगण कि निशादेही पर ग्राम पंचूपुरवा मे डहन जाने वाली रोड के पास झाड़ियों से रुमाल में बंधे 15,000 रु0 व मौके से 9 mm पिस्टल मय 08 अदद जिंदा कारतूस, 01 मिस व 01 खोखा कारतूस(सभी 9 mm) बरामद किये गये। मुकदमा उपरोक्त मे धारा 109/309(4)/317(2) BNS की बढोत्तरी की गई है। पूछताछ में प्रकाश में आये अभियुक्तगण शेष प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.अनुज पाल पुत्र अवधेश कुमार निवासी ग्राम रबडी थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव 2. संजीत यादव पुत्र स्व0 छन्नू 3. रामरहीश उर्फ नरेश उर्फ रहीशे पुत्र रामपाल यादव 4. बाबा उर्फ धीरेन्द्र पुत्र स्व0 गौतम निवासीगण ग्राम अहिरनपुरवा थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रह हैं।

अभियुक्तगण का विवरण-

1.अभिषेक पाल पुत्र नवल किशोर पाल निवासी मो0 पन्नी टोला कस्बा व थाना बांगरमऊ

2. सक्षम उर्फ अंशू पाल पुत्र प्रमोद कुमार पाल निवासी मो0 न्यू कटरा कस्बा व थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव

बरामदगी का विवरण- लूटे गये 15,000 रु0 व मौके से 9 mm पिस्टल मय 08 अदद जिंदा कारतूस, 01 मिस व 01 खोखा कारतूस(सभी 9 mm) बरामद

गिरफ्तारी करने वाली टीम-1.तत्कालीन प्र0नि0 श्री राजकुमार 2.का0 हरेन्द्र सिंह 3.का0 आदित्य कुमार ,4.का0 कपिल कुमार नागर ,5.उ0नि0 श्री विनोद कुमार 6.हे0का0 शाहजहां खान 6.कां0 रजत कुमार 7.कां0 पिन्टू वर्मा 8.कां0 रजत कुमार

एसओजी टीम- 1.एसओजी प्रभारी निरीक्षक जे.पी. यादव, 2. हे0का0 सत्येन्द्र कुमार, 3.हे0का0 सुनील कुमार, 4. का0 रवी कुमार 5. का0 गौरव कुमार 6. का0 विकास भदौरिया 7. का0 द्वारिकाधीश

सर्विलांस सेल- हे0का0 राधेश्याम

प्रेस नोट 05- दिनांक 14.09.2024

थाना बेहटा मुजावर, जनपद उन्नाव।

नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बेहटा मुजावर पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 07.09.2024 मुकदमा वादिनी की तहरीरी थाना बेहटा मुजावर पर मु0अ0सं0 241/2024, 87/137(2) BNS व 3(2)v SC/ST ACT का पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय बांगरमऊ द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना के क्रम में पीड़िता को बरामद करते हुये कथन अन्तर्गत धारा 161 सीआरपीसी व माननीय न्यायालय के समक्ष 164 सीआरपीसी के अंकित किये गये तथा मेडिकल परीक्षण नियमानुसार कराया गया। विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त शानू उर्फ मो0 इरशाद खाँ पुत्र दिलशाद खाँ निवासी ग्राम तकिया निगोही थाना बेहटा मुजावर जिला उन्नाव उम्र करीब 22 वर्ष को आज दिनांक 14.09.2024 को गोशाकुतुब नहर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

शानू उर्फ मो0 इरशाद खाँ पुत्र दिलशाद खाँ निवासी ग्राम तकिया निगोही थाना बेहटा मुजावर जिला उन्नाव उम्र करीब 22 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1.उ0नि0 सुनील कुमार सिंह
2.का0 अमरदीप